अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता (म0),

जनपद बहराइच के बहराइच–भिन्गा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का संशोधित ले–आउट प्लान दिनांक 23.12.2020 को आवास आयुक्त (म0) द्वारा स्वीकृत किया गया है। परिषद योजनाओं में नवसृजित आवासीय भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 3241 / अभि0अनु0 / दिनांक 03.11.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रश्नगत योजना के ले–आउट में नियोजित प्रत्येक श्रेणी के आवासीय भूखण्डों का संलग्न मानचित्र पर निर्धारण के अनुसार पंजीकरण खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित किये गये भूखण्डों में कार्नर के भूखण्डों को चयनित नहीं किया गया है, तथा अधिकांश भूखण्ड योजना के पीछे भाग में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के स्थल के आस–पास ही चयनित किया गया है।

पंजीकरण खोले जाने हेतु चयनित भूखण्डों का प्रभावी क्षेत्रफल लगभग 54145.00 वर्ग मी0 आता है, जिसका रेरा में पंजीकरण कराने हेतु रू0 276000.00 की फीस रेरा में देय होगी। उक्त योजना में भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने हेतु रू0 16300.00 प्रति वर्ग मी0 की दर निर्धारित की गयी है, जो उक्त योजना हेतु वृत्त कार्यालय के पत्रांक 117 / M-2 / 03, दिनांक 16.01.2021 द्वारा स्वीकृत अनन्तिम भूमि दर के अनुसार है।

पंजीकरण हेतु प्रस्तावित 240 नग भू - खण्डों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Length(m)	Breadth/depth (m)	Number of Plots
1	7.32	16.00	10
2	7.17	17.50	28
3	6.92	15.50	20
4	10.83	21.00	8
5	7.93	17.06	15
6	7.67	17.06	15
7	7.03	15.50	15
8	7.09	15.50	7
9	7.02	15.50	20
10	8.59	16.25	16
11	9.52	19.53	6
12	4.95	8.40	6
13	5.07	8.40	18
14	4.96	8.40	17
15	4.62	8.40	6
16	4.63	8.40	6
17	4.80	8.40	12
18	5.11	8.40	10
19	7.27	15.50	5
		Total	**240**

अतः उपरोक्त टिप्पणी के आलोक्य में 240 नग भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने हेतु रेरा रजिस्ट्रेशन कराते हुए पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार पंजीकरण खोले जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

Adil Beg
JE
21.01.2021

EE

21/01/201
SE.

अधीक्षण अभियन्ता
अयोध्या

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक - 3241 /अभियन्त्रण अनुभाग/ दिनांक - 03/11/2020

सेवा में,

आवश्यक/महत्वपूर्ण

अधीक्षण अभियन्ता
अयोध्या/बुन्देलखण्ड/मेरठ/रूहेलखण्ड
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
अयोध्या/झाँसी/मेरठ/मुरादाबाद।

विषय - परिषद योजनाओं में नवसृजित आवासीय भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आवास आयुक्त (म0) के निर्देशान्तर्गत अपने मण्डल के अधीन परिषद योजनाओं में नवसृजित आवासीय भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं।

1- पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक श्रेणी के 25 प्रतिशत भूखण्ड ही प्रस्तावित किये जायें।
2- पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भूखण्डों में कार्नर के भूखण्ड सम्मिलित न किये जायें।
3- प्रस्तावित भूखण्डों की परियोजना का उ0प्र0 रेरा में पंजीयन तत्काल कराते हुए आदर्श पंजीकरण पुस्तिका के आधार पर पंजीकरण खोले जाने का प्रस्ताव यथाशीघ्र पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।
4- प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का भौतिक कब्जा समस्त सेवाओं सहित 03 वर्ष में दे दिया जाय।

Sri Adil
Sri Hemant Kumar (JE)

भवदीय
(हस्ताक्षर) 3-11-20
(आर0पी0 यादव)
मुख्य अभियन्ता

EE

पृ0सं0- 3241 /उक्त/ तददिनांक - 03/11/2020

प्रतिलिपि - निजी सचिव, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

(हस्ताक्षर) 3-11-20
मुख्य अभियन्ता

पत्रांक 55 / E2 / 37 दिनांक 3/11/2020
अधिशासी अभियन्ता
अयोध्या 01, 02, 03 एवं LKO 05

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव यथाशीघ्र वृत्त कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(हस्ताक्षर)
03/11/2020

E.E